न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–प्रकाश राजपुरोहित

प्रकरण संख्या 50/2016 विविध

1. संतोष पुत्री परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. प्रेमा पुत्री परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थीयान

बनाम

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. परसराम पुत्र माईधन जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा (फौत)
3. पवन पुत्र परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
4. रामा पुत्र परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
5. श्यामा पुत्र परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
6. मनोज पुत्री परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
7. शारदा पुत्री परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
8. मंजु पुत्री परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
9. सीता पुत्री परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
10. सुरेन्द्र पुत्र सावत्री दोहिता परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
11. सतवीर पुत्र सावत्री दोहिता परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
12. बेबी पुत्री सावित्री दोहिता परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा
13. सरोज पुत्री सावत्री दोहिता परसराम जाति धानक निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा

––अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 39/13 अनवानी संतोष आदि बनाम परसराम आदि सहायक कलक्टर महोदय भादरा में न्याय निर्णिय हेतु विचारण को अन्यत्र राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल करने बाबत।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–1. श्री रामानन्द वकील प्रार्थीयान
2. श्री सोहनलाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से
3. श्री राजेन्द्र निमिवाल वकील अप्रार्थीगण 3 ता 9

आदेश दिनांकः– 08.03.2017

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय भादरा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है रोही मौजा में साबिका खसरा न0 169 की 8 बीघा 5 बिस्वा साबिका खसरा न. 192 की 12 बीघा 19 बिस्वा साबिका खसरा न0 566 की 23 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न. 627 की 8 बीघा 2 बिस्वा, साबिका खसरा नं. 624 की 16 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न. 679 की 66 बीघा 7 बिस्वा कुल 135 बीघा कृषि भूमि थी जो नेतराम की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रो तुरतीया व माईधन के ब.हि.ब. ओद हुई मुसतर्का खाते की भूमि किला बन्दी में चक न. 7 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 105/105 के मु0 न0 60 के किला न. 20, 21 मु. न. 61 के किला नं. 16, 17, 24, 25 मु. न. 76 के किला न. 4, 5 व मु0 नं0 77 के किला न. 1, 2, 8, 910 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व चक 18 ए एम एम के वर्तमान खाता संख्या 49/50 मु0 न0 11 के किला न. 21, 22, 23, 24 मु0 नं0 12 के किला न. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19 ता 25 मु0 न0 13 के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 मु0 न. 14 के किला न. 5, 6 मु0 नं0 15 के किला न. 1 ता 7, 10 मु. न. 16 के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 कुल खाते का योग 49 किला चक न. 19 ए एम. एस के वर्तमान खाता संख्या 44/69 का मु0 न0 4 का किला न. 16 ता 18 व 24,25 कुल किला 5 नहरी में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में परसराम को अपने पिता व दादा से विरासतन हिन्दु खानदान का कर्ता होने के कारण अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है जबकि वाद भूमि उपरोक्त वर्णित में वादिया व प्रतिवादीगण को ब0 हि0 ब0 विरासतन प्राप्त हुई थी जो वादिया व प्रतिवादीगण के नाम विरासतन ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड में कानूनन दर्ज होनी चाहिए थी। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने विरासतन प्राप्त कृषि भूमि को अपने अकेले के नाम से दर्ज करवाली है। जिसको रहन बैय व अन्तरण कर फरोख्त कर प्रार्थीयान को उनके हक व हिस्सा से महरूम रखने के लिए उपरोक्त आराजी को रहन बैय कर एव फरोख्त करने पर आमादा हे जिससे प्रार्थीया अपने हक व हिस्सा से महरूम रह जायेगी जबकि वाद भूमि में प्रार्थीयान व प्रतिवादीगण का ब0हि0ब0 प्रत्येक का 1/11–1/11 घोषित करने का अनुतोष वाद में प्रार्थीया ने चाहा था।

उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीयान प्रत्येक का 1/11–1/11 हक व हिस्सा कानूनन है एवं वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण न. 1 को विरासतन एवं अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है जो हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण राजस्व रिकार्ड में

उप खण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

अकेले के नाम दर्ज हो गई है। जबकि वादग्रस्त आराजी विरासतन पूर्वजों से प्राप्त होने के कारण सभी वारिसों के ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी थी। अकेले प्रतिवादी नं0 1 के नाम गैरकानूनी ढंग से दर्ज होने से जिसका नाजायज व गैरकानूनी लाभ लेने के लिए एवं प्रार्थीयान को अनुचित दबाब में लेने के लिए वाद भूमि को रहन बैय एवं मुन्तकिल कर प्रार्थीयान को महरूम रखने के लिए आमादा है

प्रतिवादी अकेला उक्त आराजी को रहन बैय व अन्तरण करने का अधिकारी नही है परन्तु अप्रार्थी/प्रतिवादी राजनैतिक प्रभावशाली व पहुंच वाला व्यक्ति है जो प्रार्थीयान को चुनौती दे रहा है कि हम सहायक कलेक्टर महोदय भादरा के न्यायालय से आपका दावा–वाद खारिज करवा देंगे एवं वाद भूमि को फरोख्त कर आपको हक व हिस्सा से वंचित कर देगे आप जो मर्जी आये करो फैसला तो हमारे पक्ष में ही आयेगा। हमारी सहायक कलक्टर महोदय भादरा से एवं क्षेत्रीय विधायक भादरा से पूर्णतया वार्ता हो चुकी है कि संतोष आदि बनाम परसराम आदि पं0 स0 39/13 को हम खारिज करवा देगे।

प्रतिवादीगण राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो क्षैत्रीय विधायक भादरा के गांव (गांधीबड़ी) में ही निवास करते है एव उनके साथ राजनैतिक सम्बन्ध बनाये हुये है भादरा विधायक भी बार–बार सहायक कलेक्टर महोदय भादरा से उक्त प्रकरण संख्या 39/13 के सम्बन्ध में मिलते है व सहायक कलेक्टर महोदय भादरा के चैम्बर में उक्त वाद खारिज करने के सम्बन्ध में दबाब डालकर खारिज करवाने की प्रार्थीया को चुनौती दे रहा है कि प्रार्थीया का वाद खारिज होगा।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा ने भी सर्रे इज्लास प्रकरण की पूर्व तारीख पेशी पर स्पष्ट कहा कि आगामी तारीख पेशी पर प्रार्थीयान का दावा खारिजी के आदेश पारित कर दिये जावेगे। प्रार्थीया बार–बार न्यायालय में तारीख पेशी की जानकारी करने के लिए सहायक कलक्टर भादरा के कार्यालय में जाती है तो उनको कोई निश्चित तारीख पेशी नहीं दी जा रही है एवं न ही पत्रावली की आदेशिका पर तारीख पेशी पर कार्यवाही अंकित की जा रही है जिससे प्रार्थीया को अधिनस्थ न्यायायल द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की सर्रे आम अवहेलना की जा रही है जिससे प्रार्थीया को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे न्याय निर्णय हेतु विचारण में वाद मुन्तकिल किये जाने के पर्याप्त आधार है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा के न्यायालय में जैरकार प्रकरण संख्या 39/13 अनवानी संतोष आदि बनाम परसराम आदि वाद में वादीया को न्याय नही मिलने के कारण उपरोक्त अनवानी प्रकरण सहायक कलक्टर भादरा के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी भादरा से टिप्पणी मंगवाई गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 10 ता 13 की तलबी बन्दी की जाती है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीयान ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो क्षैत्रीय विधायक भादरा के

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

गांव (गांधीबड़ी) में ही निवास करते है और उनके साथ राजनैतिक सम्बन्ध बनाये हुये है। अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर क्षैत्रीय विधायक से दबाव डलवाकर प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीयान को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरण करने के आदेश फरमाये जावे।

स्टेट की ओर राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीयान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप गलत होने के कारण स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थीयान अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीयान द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर हो चुका है जिसके कारण प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो चुका है। इसलिए प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीयान द्वारा अप्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप केवल काल्पनिक आधार पर लगाये गये है जो मिथ्या व निराधार है। प्रार्थीयान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीयान द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर हो चुका है। इसलिए प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो चुका है जिसके कारण प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के संबंध में है। प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाये गये है उनके संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये गये है। प्रार्थीयान द्वारा यह प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध पेश किया गया उस पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर हो जाने के कारण प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी भादरा को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी भादरा को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 08.03.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़